

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) जका मर/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवन को विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त ही जा सकती है ।

**स्मल सिड्डी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ**

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 753 दिनांक 05/11/2020

प्राथीकता किन्दा मूयडा जे श्रीडी मंगल मूयडा  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, p. No. 102 शास्त्रिय नियम नगर  
 धारा 194 (2) (घ) के तहत आवासीय मयुरिया रिया, पीपामडी रोड  
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 30356/- जका

जरिये रसीद संख्या 9069/1832, 1840

दिनांक 05/11/2020 को जमा करा दी है ।

9/11/2020

सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

जी+1  
 आवासीय

मयुरिया  
9/11/2020